टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड
विष्णुगाड– पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना
(भारत सरकार एवं उ. प्र. सरकार का सयुक्त उपक्रम)

THDC INDIA LTD.
VISHNUGAD-PIPALKOTI HYDRO ELECTRIC PROJECT
(A Joint Venture of Govt. of India and Govt. of U.P.)

विज्ञापन संख्या : 03(वी.पी.)/2014

केवल विष्णुगाड पीपलकोटी परियाजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये विशेष भर्ती अभियान

टीएचडीसी इण्डिया लि. भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है जो हाइड्रो पावर स्टेशनों के निर्माण और प्रचालन में संलग्न है। निगम ने टिहरी बांध और एच.पी.पी. चरण दृ (1000 मेगावॉट) एवं कोटेश्वर (400 मेगावाट) की कमिशनिंग की है। इसकी 1000 मेगावॉट क्षमता वाली टिहरी पी.एस.पी. एवं 444 मेगावाट की पीपलकोटी परियोजना अनुमोदित की गई है और कार्यान्वयन अधीन है। भारत और भूटान के कुछ अन्य परियोजना विचाराधिन है।

टीएचडीसी इण्डिया लि. की ओर से शानदार शैक्षिक अभिलेख वाले उत्साही परिणाम उन्मुख, ऊर्जावान तथा गतिशील व्यावसायिकों से निम्नलिखित रिक्तियों को भरने के लिये आवेदन आमंत्रित है :–

क्रम. सं.	पदनाम	पद संख्या	वेतन मान	आरक्षण	शैक्षिक योग्यता	आयु सीमा
1	कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षु) (W-3)	10	11500-3% 26000	01 अनुसूचित जाति 01 अन्य पिछडा वर्ग 08 अनारक्षित	स्नातक के साथ कम्प्यूटर पर न्यूनतम हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट या अग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग स्पीड	18 से 30 वर्ष *
2	परिचारक (W-0)	02	8700-3% 20000	अनारक्षित	8वीं पास	18 से 30 वर्ष *

*आयु में छूट – (1) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को आयु में 10 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 05 वर्ष अन्य पिछडी जाति (नान क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को आयु में 03 वर्ष की एवं पूर्व सैनिकों को 05 वर्ष छूट ऊपरी आयु सीमा में अनुमन्य है। (2) परियोजना से प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट अनुमन्य है।

उपरोक्त वर्णित रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) शारीरिक रूप से विकलांग एवं पूर्व –सैनिकों के लिये आरक्षण भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप किया जायेगा।

रोजगार पंजियन : सभी आवेदकों को दिनांक 30–09–2014 तक स्थानीय रोजगार कार्यालय, गोपेश्वर के लाईव रजिस्टर में पंजिकृत होना अनिवार्य है।

परिलब्धियॉ एवं कार्यदशायें – वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, पहाडी क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता, परियोजना भत्ता, अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण, विशेष ड्यूटी भत्ता, वाहन प्रतिपूर्ति, पी.एफ., बीमा, ग्रेच्युटी, समाचार–पत्र प्रतिपूर्ति, चिकित्सा सुविधाये एवं अन्य लाभ निगम के नियमानुसार देय होगी।

सामान्य –

(क) टीएचडीसी बिना कोई कारण बतायें अन्यथा उपयुक्त मामलों में न्यूनतम पात्रता मानदण्डों को बढाने/घटाने या आयु/मानदण्डों में रियायत देने तथा किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। साक्षात्कार में आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के लिये योग्यता का स्तर बढाने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित है।

(ख) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कराना चाहियें कि वे पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हो तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गयें, विवरण सभी दृष्टियों से सही हो। अगर किसी भी चरण में यह पता लगता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदण्डों को पूरा नही करता है तो उसकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बतायें अस्वीकृत/निरस्त कर दी जायेंगी। अगर ज्वाइन करने के बाद भी यह

पाया जाता है कि उसने कोई गलत जानकारी उपलब्ध करयी है या किसी तथ्यपरक जानकारी को छिपाया है तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ग) यह रिक्तियां केवल विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है एवं प्राथमिकता ऐसे ग्राम पंचायतों को दी जायेगी जहॉ अधिकतम भूमि अधगृहित हुई हो/हस्तान्तरित हुई हो। उपरोक्त के विचारार्थ, प्रभावित पंचायत की ली गयी भूमि की तुलना में उपलब्ध रिकक्तयों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व ही मापदण्ड होगा।

(घ) जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा उन्हे टीएचडीसी के नियमानुसार न्यूनतम मार्ग से रेल /बस भाडा देय होगा।

(ड) अनुयाचन करने या चयन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने से उम्मीदवारी अवैध हो जायेगी।

(च) टीएचडीसी द्वारा ऊपर उल्लिखित की गयी रिक्तियां बढाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(छ) अपूर्ण आवेदन और विलम्ब से प्राप्त आवेदन तत्काल अस्वीकृत किये जाने के हकदार होंगें।

(ज) किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन/कागजात तयसीमा में डाक विलम्ब अथवा खो जाते है उसके लिये टीएचडीसी जिम्मेदार नही होगी।

(झ) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर न तो कोई कार्यवाही की जायेगी और न ही लौटायी जायेगी।

(ञ) उम्मीदवारों की आयु की गणना 01–12–2014 की तिथि के अनुसार की जायेगी।

(ट) इस सम्बन्ध में उत्पन्न कोई भी विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार देहरादून (उत्तराखण्ड) के न्यायालय के अधिन होगा।

आवेदन कैसे करें

शारीरिक रूप से योग्य केवल वही व्यक्ति जो उपरोक्त मानदण्ड को पूरा रखते है एवं शैक्षिक योग्यता के सभी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों सहित, आयु, जाति तथा शारीरिक अयोग्यता प्रमाण पत्र, परियोजना से प्रभावित प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रतियों एवं अपनी 02 पासपार्ट साइज फोटो जिसके पीछे अपना एवं पिता का नाम लिखा हो, के साथ निम्न प्रारूप में आवेदन पत्र उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) टीएचडीसी इण्डिया लि., वी.पी.एच.ई.पी. अलकनन्दा पुरम सियासैण, पीपलकोटी जिला चमोली के पास रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01 दिसम्बर 2014 तक अवश्य पहुच जाने चाहिये।

आवेदन का प्रारूप

(1) विज्ञापन संख्या (2) आवेदित पद (3) नाम (4) पिता/पति का नाम (5) जन्मतिथि एवं आयु (दिनांक 01 दिसम्बर 2014को) (6) (अ) वर्तमान पता (ब) स्थाई पता (7) योग्यता उर्त्तीण करने के वर्ष के साथ अध्ययन अवधि संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम तथा प्राप्ताकों/अधिकतम अंक का प्रतिशत (अन्तिम योग्यता से शुरू करते हुये) (8) अनुभव जिस संगठन में कार्य किया हो उसका नाम जिस पद पर कार्य किया हो कार्य करने की अवधि, वेतन मान, दी गई सेवाओं की प्रकृति का विस्तृत विवरण देते हुये वर्तमान वेतनमान वर्तमान मूल वेतन मंहगाई भत्ता और अन्य लाभों का विवरण दें। (9) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति वर्ग/भूर्तपूर्व सैनिक से सम्बन्धित (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें) (10) शारीरिक विकलांग की प्रकृति एवं प्रतिशत निर्धारित प्रपत्र प्रमाण पत्र संलग्न करें, (11) परियोजना प्रभावित का विवरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) (क) गॉव का नाम, (ख) अर्जित भूमि/सम्पत्ति का विवरण (ग) तहसील (घ) खातेदार का नाम (ड) परियोजना का नाम (च) खातेदार से सम्बन्ध (12) कोई अन्य सूचना यदि हो, (13) क्या पूर्व में टीएचडीसी में साक्षात्कार दिया है (यदि हो तो पूर्ण विवरण दें) (14) क्या परिवार का कोई सदस्य टीएचडीसी आईएल/सरकारी नौकरी में कार्यरत है हॉ/नहीं (विवरण दें) (15) मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूॅ कि इस आवेदन में दिये गये सभी कथन मेंरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास में सत्य , पूर्ण एवं सही है, और यह कि मैंने कोई वास्तविक तथ्य नही छिपाया है। मैं यह समझता हूॅ कि किसी भी जानकारी के असत्य और गलत पाये जाने या विज्ञापन की अपेक्षों के अनुसार पात्रता मानदण्डों को पूरा न करने की दशा में प्रबन्धन को मेंरी अभ्यर्थन निरस्त करने/नौकरी से बर्खास्त करने का पूर्ण अधिकार है।

दिनांक :–

स्थान :–

आवेदन के हस्ताक्षर

टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड

विष्णुगाड– पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना

1. <u>अभ्यर्थी का प्रोफाइल</u>

राजपत्रित अधिकारी के द्वारा साक्ष्यांकित फोटो चिपकायें

i. अभ्यर्थी का नाम : ....

ii. पिता का नाम : ....

iii. लिंग (पुरूष/महिला) : ....

iv. जन्म तिथि : ....

v. श्रेणी * : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति
(लागू श्रेणी को टिक लगायें) / शारिरिक विकलांग

vi. स्थाई पता : ....

....

vii. पत्राचार हेतु पता : ....

....

viii. स्कूल संस्थान का नाम व पता : ....

ix. स्तर/विषय जिसके अर्न्तगत अभ्यर्थी आता है।

(लागू श्रेणीवार टिक लगायें)

1) 10वी. पास* : ☐

2) आई.टी.आई में अध्ययनरत* : ☐

3) आई.टी.आई. योग्यता धारक* : ☐

प्राप्तांक	पूर्णांक

x. लिये गये विषय : ....

xi. पिछले अंतिम वार्षिक परिक्षा में प्राप्त अंक/श्रेणी अंक : अंक प्रतिशत (%) ....
: ग्रेड : ....

: ग्रेड के समतुल्य प्रतिशत : ....

xii. कक्षा जिसमें उसने अधिक अंक/ग्रेड लिया हो : ....

2. परिवार प्रोफाइल

(क) निजि भूमि अध्यापित * : हॉ/नहीं

(ख) वन पंचायत/चारागाह भूमि हस्तान्तरण से प्रभावित* : हॉ/नहीं

i. परिवार के मुख्यिा का नाम : ....

ii. परिवार मुखिया का अभ्यर्थी के साथ सम्बन्ध : ....

iii. टीएचडीसी इण्डिया लि. द्वारा अधिगृहीत भूमि/मकान सम्पत्ति या वन पंचायत/चारागाह भूमि हस्तान्तरण का विवरण : ....

iv. गांव/पंचायत का नाम : गांव ....
: पंचायत ....
: जिला ....

v. अर्जित भूमि क्षेत्र (हैक्टेयर में) (केवल नाप भूमि से सम्बन्धित आवेदन कर्ताओं हेतु) : ....

vi. परिवार के कुल सदस्यों की संख्या : ....

vii. क्या परिवार का कोई सदस्य टीएचडीसी इण्डिया लि. /सरकारी संगठन में नौकरी में है। (सम्बन्धित श्रेणी में टिक लगायें) :
1) टीएचडीसी इण्डिया लि.
2) सरकारी विभाग/सरकारी संगठन
3) गैर सरकारी रोजगार
4) व्यापार
5) कोई नही

viii. यदि हॉ, तो परिवार के सदस्य क नाम तथा आवेदन के साथ सम्बन्ध : नाम ....
संम्बन्ध ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम : ....
दिनांक : / /

अनुलग्नक:

1. 02 न. पासपार्ट आकार का सांक्ष्यांकित फोटो।
2. शैक्षिक योग्यता, जाति, मूलनिवास, प्रभावित क्षेत्र/ वन पंचायत/चारागाह भूमि हस्तान्तरण से प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।